



SIMI पर प्रतर्बिंध बढ़ाया गया

स्रोत: द हद्दि

गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs-MHA) ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) पर प्रतर्बिंध पाँच वर्षों के लिये बढ़ा दिया है।

- गृह मंत्रालय के अनुसार, SIMI पर प्रतर्बिंध को बढ़ाने के प्रमुख कारण हैं- आतंकवाद में संलग्नता, शांतिभंग करना और संप्रभुता खतरा।
- वधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (नविवारण) अधिनियम (UAPA) के तहत वर्ष 2001 में SIMI को "वधिविरुद्ध संघ" (Unlawful Association) करार दिया गया था।

और पढ़ें: वधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (नविवारण) अधिनियम

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/extending-the-ban-on-simi>

